

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र ।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 2275 / खनिज / ई-निविदा / 2025

दिनांक 13/01/2025

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कनहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत कनहर एवं पांगन नदी में संगम पर कनहर बांध के निर्माण कार्य के अन्तर्गत स्पिलवे की नींव की खुदाई से लगभग 1,09,619 घन मी0 Boulder/Muck जो कुदरी के यार्ड में भण्डारित है, के निस्तारण हेतु राजस्व हित में अल्प अवधि के लिये ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है। उक्त ई-निविदा दिनांक 17/01/2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 23/01/2025 को सांय 5:00 बजे तक वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर आमन्त्रित है, जिसे दिनांक 24/01/2025 को अपराह्न 12:30 बजे गठित समिति के समक्ष क्वैरी कार्यालय, सोनभद्र में खोली जायेगी। क्षेत्र का विवरण है:-

भण्डारित 1,09,619 घन मी0 Boulder/Muck

क्र0 सं0	स्थान, जहां खनिज भण्डारित है।	स्थल का भू-निर्देशांक, जहां उपखनिज Boulder/Muck भण्डारित है।	Boulder/ Muck की मात्रा (घन मी0 में)	रायल्टी दर (रु0 में)	Boulder/ Muck का न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु0 में)	अर्नेस्ट मनी (रु0 में)	अवधि, जिसमें खनिज की निकासी की जायेगी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कुदरी यार्ड	A- 24° 7'28.57"N, 83°18'1.22"E B- 24° 7'30.51"N, 83°18'1.33"E C- 24° 7'31.60"N, 83°18'2.20"E D- 24° 7'32.35"N, 83°18'4.54"E E- 24° 7'32.27"N, 83°18'5.73"E F- 24° 7'29.83"N, 83°18'7.20"E G- 24° 7'29.75"N, 83°18'4.70"E	69,414.00	160	1,75,39,040	43,84,760	05 माह
2.		A- 24° 7'32.85"N, 83°18'9.72"E B- 24° 7'33.46"N, 83°18'9.20"E C- 24° 7'33.84"N, 83°18'8.12"E D- 24° 7'33.80"N, 83°18'7.35"E E- 24° 7'32.31"N, 83°18'5.78"E F- 24° 7'29.85"N, 83°18'7.26"E	40,205.00 1,09,619.00				

शर्त:-

- प्रश्नगत ई-निविदा, उपरिलिखित तलिका के कॉलम-08 में उल्लिखित समयावधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। ई-निविदा स्वीकृति की अवधि अथवा खनिज की मात्रा, जो पहले समाप्त हो, तक के लिए ई-टेण्डर वैध मानी जायेगी।
- ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री-बिड अर्नेस्टमनी, जो ऊपरलिखित कॉलम-7 में अंकित है, को जमा करना अनिवार्य होगा। ई-निविदादाता द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अर्नेस्टमनी की धनराशि, जो जिलाधिकारी, सोनभद्र के पक्ष में देय होगी, की स्कैन प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-टेण्डर खोले जाने से पूर्व दिनांक 24/01/2025 को दोपहर 12.00 बजे तक क्वैरी कार्यालय, खनिज विभाग, सोनभद्र में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिस ई-निविदादाता द्वारा मूल बैंक ड्राफ्ट निर्धारित अवधि के अन्दर खनिज कार्यालय, सोनभद्र में उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसके द्वारा दी गयी ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा फाइनैसियल बिड नहीं खोली जायेगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बिड आई०डी०, बिडर/फर्म का नाम एवं बिडर का मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता द्वारा खनिज के प्रति घन मी0 के लिए दी जाने वाली बोली रायल्टी दर, जो ऊपरलिखित कॉलम-5 में अंकित है, से कम बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

(2)

4. भण्डारित Boulder/Muck के प्रति घन मी0 के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के ई-निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र में भण्डारित खनिज की निकारसी के लिए किया जायेगा।
5. ई-निविदा ऑनलाईन उ0प्र0 शासन के eProcurement Portal <https://tender.up.nic.in> के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा। बिड डाय्यूमेन्ट और अन्य विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में खनिज कार्यालय, सोनभद्र से प्राप्त की जा सकती है।
6. इच्छुक आवेदको के लिए ऑनलाइन ई-निविदा में प्रतिभाग करने हेतु क्लास-II साइनिंग टाइप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है, जो किसी भी सर्टिफाइंग एजेंसी से प्राप्त किया जा सकता है।
7. इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को <https://etender.up.nic.in> पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा <https://etender.up.nic.in> के पोर्टल पर उपलब्ध ऑन लाइन फार्म भरना होगा, ई-निविदादाता अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई०डी० व पासवर्ड बनायेंगे।
8. ई-निविदा में प्रतिभाग करने हेतु जिलाधिकारी, सोनभद्र के पक्ष में रु० 15,000 (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) का आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा तथा जमा बैंक ड्राफ्ट की प्रति को स्कैन कर ई-निविदा की तकनीकी बिड के साथ अपलोड करने के साथ-साथ बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने से पूर्व क्वैरी कार्यालय, खनिज विभाग, सोनभद्र में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. ई-निविदादाता द्वारा ऑनलाइन ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय <https://etender.up.nic.in> पोर्टल पर स्वयं की आई०डी० लॉगिन कर तकनीकी बिड के साथ स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा:-
 - क. आवेदक का चरित्र, हैसियत, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्म के मामले में प्रोपराइटर/पार्टनर का चरित्र, हैसियत, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं कम्पनी के मामले में निदेशक का DIN व कम्पनी का पैन कार्ड एवं जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन की प्रति।
 - ख. सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन बकाया न होने का प्रमाण पत्र अथवा जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है, वहां इस आशय का शपथ पत्र।
 - ग. आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित नहीं है, से सम्बन्धित शपथ पत्र।
10. ई-निविदा में निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग नहीं ले सकते हैं:-
 - क. जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है,
 - ख. जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है,
 - ग. जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित हो।
 - घ. जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

- च. जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो,
- छ. फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैन कार्ड तथा जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।
11. निर्धारित समय के पश्चात ई-निविदा बन्द हो जायेगी और उसके पश्चात कोई ई-निविदा नहीं दिया जा सकता है।
 12. सर्वोच्च/सफल ई-निविदादाता को छोड़कर शेष ई-निविदादाताओं द्वारा जमा अर्नेस्टमनी को वापस कर दी जायेगी।
 13. सर्वोच्च/सफल निविदादाता द्वारा ई-निविदा में दी गयी सर्वोच्च दर को उस खण्ड में भण्डारित Boulder/Muck की मात्रा से गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी, जिसमें से अग्रिम के रूप में 25 प्रतिशत जमा अर्नेस्टमनी की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि स्वीकृति आदेश मिलने के तीन कार्य दिवसों के अन्दर बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
 14. सर्वोच्च/सफल ई-निविदादाता, यदि स्वीकृति आदेश में इंगित धनराशि को निर्धारित समयावधि में जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अर्नेस्टमनी की धनराशि को जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।
 15. ई-निविदादाता द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर एवं शुल्क यथा सम्पूर्ण रायल्टी का 2.00 प्रतिशत आयकर (टी०डी०एस०), सम्पूर्ण रायल्टी के सापेक्ष नियमानुसार देय डी०एम०एफ० की धनराशि तथा शक्तिनगर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, सोनभद्र (साडा) सम्बन्धित उपकर आदि भी जमा करना अनिवार्य होगा।

अन्य शर्त:-

1. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता एवं भण्डारित स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. ई-निविदादाता Boulder/Muck के परिवहन हेतु प्रत्येक खनिज वाहन को वैध परिवहन प्रपत्र विवरण सहित जारी करेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमानुसार शक्ति का भागी होगा।
3. ई-निविदादाता ऐसी रीति से खनिज का परिवहन करेगा, जिसे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गृहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर बाधा न पड़े, न उसे क्षति पहुंचे।
4. ई-निविदादाता परिवहन किये गये खनिज लेखा-जोखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
5. ई-निविदादाता को समय-समय पर शासन/खनन निदेशालय/जिला प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश/आदेश नियमानुसार दिये जायेंगे, उसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(4)

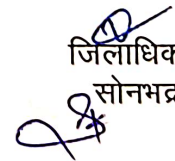
6. ई-निविदा बिना सूचना/कारण बताये, स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. यदि कोई शुद्धि पत्र (Corrigendum) बाद में प्रकाशित होता है तो इसकी पूर्ण जानकारी केवल ई-निविदा पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर ही सार्वजनिक की जायेगी।
8. कार्य आदेश निर्गत होने के उपरान्त उपखनिज के परिवहन हेतु यदि सर्वोच्च बोलीदाता वन मार्ग का उपयोग किया जाता है, तो उसके द्वारा नियमानुसार परिवहन शुल्क जमा करना होगा।
9. मा० न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।


(बद्री नाथ सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व तद् दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
2. ई-निविदा संचालन करने वाली समिति।
3. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, राबट्सगंज/दुध्दी/ओबरा/घोरावल को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. जिला सूचना अधिकारी, सोनभद्र।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सोनभद्र को जनपद सोनभद्र की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. नजारत, कलेक्ट्रेट, सोनभद्र को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. खनिज कार्यालय, सोनभद्र में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


जिलाधिकारी,
सोनभद्र।